कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1956 / 17-2-01 दिनांक 11 / 12 /2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत शहरफाटक से ग्राम दो घोड़िया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.442 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या 37890/2018)**

संदर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा का पत्रांक 2865/7सी0 दिनांक 24.11.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत पत्र के क्रम में दिनांक 6.8.2021 को लगाये गये EDS का निराकरण कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है –

क्र0सं0	**आपत्ति**	**निराकरण**
1	प्रस्ताव की हार्ड प्रति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले भाग–2 एवं वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले भाग–3 प्रपत्र संलग्न नहीं है।	भाग–2 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। भाग–3 आपके स्तर से सम्बन्धित है।
2	प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किये जाने हेतु अधिकृत अधिकारी के सम्बन्ध में दिया गया प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी में दिनांक पत्रांक 565 दिनांक 15.02.2019 से जारी किया गया है किन्तु ऑनलाईन अपलोड किया गया प्रमाण पत्र में पत्रांक 708 दिनांक 12.02.2021 किया गया है।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों एवं ऑनलाईन पोर्टल पर अधिकृत अधिकारी के संबंध में दिये गये प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न एवं ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर लिया गया है।
3	प्रस्ताव में एफ.आर.ए. 2006 के प्रपत्र–23 से 23.02 छायाप्रति संलग्न किये गये हैं, मूल प्रति संलग्न की जाये।	प्रस्ताव में एफ.आर.ए. 2006 के प्रपत्र–23 से 23.02 के प्रपत्र मूल में संलग्न कर लिये गये हैं।
4	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं किया गया है।	स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo Reference Map के स्थान पर गूगूल मैप संलग्न किया गया है।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का Geo Reference Map संलग्न कर लिया गया है।
6	प्रस्ताव में परियोजना का स्थलीय विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	एस0ओ0पी0 के अनुसार स्थलीय विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है।
7	भूमिधरों व प्रयोक्त एजेंसी के मध्य करार की दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	भूमिधरों व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य करार की दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न कर ली गयी है।

8	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित 3.442 है0 के दुगुने क्षेत्र अर्थात 6.884 है0 हेतु संलग्न की जानी है,किन्तु प्रस्ताव में 9.5 है0 की योजना (छायाप्रति) संलग्न की गयी है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 6.884 है0 की वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न कर ली गयी है।
9	पथ वृक्षारोपण योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गयी है	पथ वृक्षारोपण योजना हस्ताक्षरित कर प्रेषित की जा रही है।
10	चूँकि प्रश्नगत मोटर मार्ग के संरेखण में बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं किन्तु बांज वृक्ष प्रभावित होने की दशा में वन संरक्षक की निरीक्षण आख्या/संस्तुति संलग्न नहीं की गयी है।	संरेखण में कुल 70 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण की तिथि अथवा संस्तुति हेतु अपने स्तर से दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें।
11	5.00 किमी0 लम्बे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मात्र 04 मलवा निस्तारण चिन्हित किये गये हैं जो औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। कृपया स्थिति स्पष्ट की जाये।	वृक्षों के अत्यधिक पातन के दृष्टिगत नाप भूमि में 4 मलवा निस्तारण क्षेत्र चयनित किये गये हैं। चयनित क्षेत्रों में ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।
12	सीमांकन हेतु पीलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।	सीमांकन हेतु पीलरों का प्राक्कलन अपने स्तर से तैयार करवाने की कृपा करें। पीलरों के निर्माण में आने वाले व्ययभार को वहन करने का प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है।
13	प्रस्ताव में समस्त प्रतियों में Online Part –I, II तथा III की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए।	प्रस्ताव के समस्त प्रतियों में Online Part-1 संलग्न कर लिया गया है। Part –II अपने स्तर से प्रेषित करने की कृपा करें।
14	प्रस्ताव में कतिपय अभिलेख/प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं, मूल प्रति संलग्न की जाए।	प्रमाण पत्र मूल में एवं सत्यापित प्रतियां संलग्न कर ली गयी हैं।

प्रस्तावों की 03 प्रतियाँ मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल